

न्यायालय:- प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड

जमानत आवेदन क्रमांक 57/18

रवि गुर्जर पुत्र भारत सिंह गुर्जर आयु 24 वर्ष,
निवासी ग्राम लक्ष्मणगण थाना महाराजपुरा जिला
ग्वालियर म.प्र.

—आवेदक

विरुद्ध

पुलिस थाना गोहद

—अनावेदक

23-02-2018

आवेदक/आरोपी रवि की ओर से श्री ए0के0 श्रीवास्तव अधिवक्ता उपस्थित।

राज्य की ओर से श्री दीवान सिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

विचारण न्यायालय (सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी जे0एम0एफ0सी0) गोहद से मूल आपराधिक प्र0क्र0 27/18 प्राप्त।

प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त रवि की ओर से अधिवक्ता श्री एके0 श्रीवास्तव ने विचारण न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन पत्र धारा 437 दं0प्र0सं0 का खारिज हो जाने के उपरान्त प्रथम नियमित जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 के संबंध में निवेदन किया है कि उक्त प्रथम जमानत आवेदन के अलावा अन्य कोई आवेदन किसी भी समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निराकृत हुआ है।

आवेदक की ओर से अधि. श्री ए0के0 श्रीवास्तव द्वारा प्रथम जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 के संबंध में निवेदन किया कि पुलिस थाना गोहद द्वारा आवेदक के विरुद्ध धारा 457 व 380 भा0दं0सं0 का झूठा अपराध पंजीबद्ध कर लिया है, जबकि ओवदक का किसी भी अपराध से कोई संबंध व सरोकार नहीं है। अभियोग पत्र प्रस्तुत हो चुका है। आवेदक दो माह से न्यायिक निरोध में है। मामला जेएमएफसी न्यायालय द्वारा विचारणीय है। आवेदक ग्राम लक्ष्मणगण जिला ग्वालियर का स्थानीय निवासी है। उसके भागने अथवा अभियोजन साक्ष्य प्रभावित करने की संभावना नहीं है। प्रकरण के निराकरण में काफी समय लगने की संभावना है। आवेदक नियमित रूप से न्यायालय में उपस्थित होता रहेगा तथा अभियोजन साक्षियों को प्रभावित नहीं करेगा। अतः इन्हीं सब आधार पर उसे जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।

राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने अपराध को गंभीर

स्वरूप का होना बताते हुये जमानत आवेदन पत्र का विरोध कर उसे निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

उपरोक्तानुसार उभयपक्ष के निवेदनों पर विचार करते हुये संपूर्ण केस डायरी का परिशीलन किया गया, जिससे दर्शित है कि अभियुक्त रवि सहित अन्य सहअभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 457 व 380 भा0दं0सं0 के अंतर्गत आरक्षी केंद्र गोहद में क्रमांक 297/17 का पंजीबद्ध हुआ है एवं आवेदक/अभियुक्त सहित अन्य के द्वारा फरियादी के घर के कमरे की कुंदी काटकर कमरे में रखी अलमारी, बक्सों में रखे सोने चांदी के जेवर दो करधोनी, दो जोड़े जायजेवी, दो चूरा चांदी के बचकाने, 2 सिक्का चांदी के, बिछिया, दो लेडीज अंगूठी सोने की, एक बेसर सोने की, एक सोने की लर, एक मंगलसूत्र सहित नगदी एक लाख चालीस हजार रुपये की चोरी करना बताया गया है और अभियुक्त से सोने चांदी के जेवर की जप्ती भी हुई है एवं विचारण न्यायालय के द्वारा बताया गया है कि उनके न्यायालय में इसी प्रकृति के अपराध से संबंधित दो अन्य आपराधिक प्रकरण क्रमांक 25/18 एवं 26/18 भी आवेदक के संबंध में विचाराधीन है और आवेदक/अभियुक्त को आदतन अपराधी होना बताया है तथा वर्तमान में इस तरह की गंभीर चोरी की घटनाओं में निरंतर वृद्धि हो रही है। इस प्रकार अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः विचारोपरांत अपराध की गंभीरता व आपराधिक रिकॉर्ड सहित मामले के संपूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये आवेदक की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 स्वीकार योग्य न होने से निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति सहित विचारण न्यायालय का मूल अभिलेख वापस किया जाये।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(एस0के0गुप्ता)

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश

गोहद, जिला भिण्ड